प्रतिलिपि आदेश दिनांक 19-8-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर प्र०क्र० पुनरावलोकन 1081-तीन/2014 विरुद्ध आदेश दिनांक 3-5-14 पारित द्वारा राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर प्र०क्र० 5268-तीन/13.

श्रीमती रामप्यारी जायसवाल पत्नी सुदर्शन प्रसाद
निवासी ग्राम डाहा तहसील मनगवां
जिला रीवा म०प्र०

--- आवेदक

विरुद्ध

1- श्रीमती ऊषा देवी पत्नी रजनीशकुमार गुप्ता
2- श्रीमती लाला गुप्ता पत्नी श्री कन्हैयालाल गुप्ता
3- राजेन्द्र गुप्ता तनय स्व कन्हैयालाल गुप्ता
4- रजनीश गुप्ता तनय कन्हैयालाल गुप्ता

सभी निवासी गुढ़ रोड अमिलती तहसील
मनगवां जिला रीवा म०प्र०

--- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक : 1081– तीन/2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

अनावेदकगण के अभिभाषक ने लेखी तर्कों में बताया है कि अनावेदक ने उनके स्वामित्व की आराजी कमांक 55/7 रकबा 0.24 एकड़ एंव 55/8 रकबा 0.24 एकड़ का नक्शा तरमीम करने हेतु तहसीलदार मनगवां से प्रार्थना की थी, जिसे प्र.क. 7 अ–5/12–13 में पारित आदेश दिनांक 29–4–13 से अमान्य की गई। इस आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल में निगरानी करने पर निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 29–4–14 निरस्त किया गया तथा तहसीलदार को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रीवा के वाद कमांक 23 ए/2006 में पारित आदेश अनुसार सर्वे नंबर 55/7 एंव 55/8 का नक्शा तरमीम किया जाय।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों के कम में न्यायालय व्दारा प्रकरण कमांक 3268–तीन/2013 में पारित आदेश दिनांक 3–3–14 का अवलोकन किया गया। यह सही है कि अनावेदकगण व्दारा प्रस्तुत निगरानी प्रकरण कमांक 3268–तीन/2013 में पारित आदेश दिनांक 3–3–14 से निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 29–4–14 निरस्त किया गया है और माननीय प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रीवा के वाद कमांक 23 ए/2006 में पारित आदेशानुसार अनावेदकगण की भूमि स0 क0 55/7 एंव 55/8 के नक्शा तरमीम के आदेश दिये है, किन्तु निगरानी प्रकरण कमांक 3268–तीन/2013 प्रस्तुत करते समय अनावेदकगण ने आवेदिका को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि आवेदिका के अनुसार प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रीवा के वाद कमांक 23 ए/2006 में पारित

आदेश विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन है । न्यायालयीन प्रकरण कमांक 3268—तीन/2013 के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अनावेदकगण ने निगरानी कमांक 3268—तीन/2013 में विचार करते समय इस तथ्य को नहीं बताया है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रीवा के वाद कमांक 23 ए/2006 में पारित आदेश विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन है । न्यायालयीन प्रकरण कमांक 3268/तीन/2013 में पारित आदेश दिनांक 3—3—14 से तहसीलदार मनगवॉ को ग्राम डीहा स्थित भूमि सर्वे कमांक 55/7 एंव 55/8 का नक्शा तरमीम करने के आदेश दिये गये है और माननीय उच्च न्यायालय से जब भी अपील प्रकरण का निराकरण होगा, और जब भी मौके की स्थिति की पैमायश उपरांत नक्शा तरमीम की कार्यवाही की जाय, आवेदिका के सर्वे नंबर 54 की भूमिस्वामनी होने एंव मेढ़िया कास्तकार होने से उसकी उपस्थिति संजात कर सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये नक्शा तरमीम की कार्यवाही विधिवत् की जावे। तद्नुसार न्यायालयीन प्रकरण कमांक 3268/तीन/ 2013 में पारित आदेश दिनांक 03—03—2013 के अंतिम पद में उपरोक्तानुसार सॅशोधन करते हुये पुनविलोकन आवेदन ॲशतः स्वीकार किया जाता है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(हस्ताक्षर)
सदस्य